न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नाथद्वारा, जिला राजसमन्द

पीठासीन अधिकारी : निशा R.A.S.

प्रकरण संख्या : 554/2017 प्रार्थना पत्र

1. श्री कालू पुत्र उमा जी कौम कुम्हार निवासी बागोल आयु 62 वर्ष, पेशा काश्त तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द
2. श्री नारायणलाल पुत्र उमा जी कौम कुम्हार निवासी बागोल आयु 60 वर्ष, पेशा काश्त तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द

—प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री नरेश कुमार पुत्र उमा जी कौम कुम्हार निवासी बागोल आयु 55 वर्ष, पेशा काश्त तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द।
2. श्रीमती रोडी बाई बेवा उमा जी कौम कुम्हार निवासी बागोल आयु वयस्क, पेशा काश्त तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, नाथद्वारा जिला राजसमन्द

—विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा—111 एवं 136 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट

सपठित धारा 151 जा.दी.

उपस्थित : श्री फतहलाल बोहरा, अधिवक्ता प्रार्थी

श्री पूर्णाशंकर पालीवाल, अधिवक्ता विपक्षीगण

: : आदेश : :

दिनांक :—08.04.2019

प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट की धारा 111 एवं 136 सपठित धारा 151 जा.दी. के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण एवं विपक्षी सं. 1 एवं 2 एक ही परिवार के व्यक्ति है, जिनकी पुश्तानी आराजीयात मौजा गांव बागोल, तहसील नाथद्वारा के राजस्व रिकार्ड मे अंकित है। पक्षकारन के मध्य निम्न आराजीयात वास्ते विभाजन आप न्यायालय में नरेश बनाम नारायणलाल एवं अन्य मुकदमा नं 28/03 वाद चला, जिसकी डिक्री एवं निर्णय लोक अदालत की भावना से आपसी राजीनामा के दिनांक 21.02.2003 को अन्तिम रूप से निस्तारण होकर राजस्व रेकर्ड मे अंकन हो गया। आराजीयात का विवरण निम्न है बंटवारा फेहरिस्त खातेदार कालूलाल, नारायणलाल, नरेश पिता उमा मु. रोडी बाई उमा कुमार साकिन देह राजस्व ग्राम बागोल तहसील नाथद्वारा के आराजी से 1283 से 1291 एवं आराजी सं. 1582, 1590 कुल किता 11, कुल रकबा 04—15 बीघा पक्षकारन के मध्य बंटवारा होने से हर पक्षकार के नाम के आगे आराजीयात अंकन हुआ है। पटवारी ने मौके पर विभाजन कब्जे के अनुसार कर दिया मगर वादीगण के कब्जे में आराजीयात अन्य पक्षकार के कब्जे

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
नाथद्वारा जिला राजसमन्द

Scanned by CamScanner

अंकित कर दी जिस बाबत् हमेशा सीमांकन को लेकर लडाई–झगडा पैदा हो रहा है। विभाजन के बाद हर एक पक्ष ने अपनी हैसियत के अनुसार वर्णित परिशिष्ठो पर खर्चा कर आबाद की तथा प्रार्थीगण ने सही इन्द्राज कराने हेतु विपक्षी सं. 1 एवं 2 को दिनांक 25.06.17 को राजस्व अभियान के दोरान पूछा तो इन्कार कर देने से इन्द्राज दुरूस्ती कराने का कारण पैदा हुआ है। राजस्व रेकार्ड मे इन्द्राज कब्जे के अनुसार नही होने से अभी अभियान के दौरान इसकी जानकारी हुयी है। अतः प्रार्थीगणो का निवेदन है कि इन्द्राज दुरूस्ती किये जाने हेतु निवेदन करते है।

अतः प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावे एव मोजा गाव बागाल के राजस्व रेकर्ड मे अंकित इन्द्राज का कब्जे अनुसार दुरूस्त कराने का आदेश वक्षे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा भी प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। बहस अधिवक्ता पक्षकारन की सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया। बहस पर मनन किया गया।

भू राजस्व अधिनियम की धारा 111 के अनुसार सीमाओ के सम्बन्ध मे किसी विवाद की दशा मे भूमि अभिलेख अधिकारी ऐसे विवाद का विनिश्चय जहा तक सम्भव हो विद्यमान सर्वेक्षण नक्शो के आधार पर तथा जहा वह सम्भव न हो या ऐसे नक्शे उपलब्ध न हो वहा वास्तविक कब्जे के आधार पर करेगा एवं धारा 136 के अनुसार गलतियो का शुद्धिकरण–भूमि अभिलेख अधिकारी किसी भी समय किसी लिपिकीय गलती और ऐसी गलतियो को विहित रीति से शुद्ध कर सकेगा या उन्हे शुद्ध करवा सकेगा जिनका अधिकार–अभिलेख या रजिस्टर मे कर दिया जाना हितबद्ध पक्षकार स्वीकार करे या जिन्हे कोई राजस्व अधिकारी किसी भी रजिस्टर मे अपने निरीक्षण के दोरान नोटिस करे। उक्त वादग्रस्त आराजीयात की अंतिम डिक्री इस न्यायालय द्वारा दोनो पक्षकारन की सहमति से दिनांक 30.01.2004 को जारी की गयी थी। यह अभिलेख मे किसी प्रकार की लिपिकीय या टंकन त्रुटि नही है।

अतः प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य यह प्रकरण इन्द्राज दुरूस्ती का ना होकर बंटवारे मे हुए हिस्से को पुनः नये सिरे से अपने नाम घोषणा कराने हेतु है जिसके लिये प्रार्थी अपीलीय न्यायालय मे अपील कर सकते है और राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 के अन्य प्रावधानो के विकल्प हेतु भी स्वतंत्र है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111 एवं 136 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। अतः आदेश सुनाया जाता है कि :–

आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 111 एवं 136 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 08.04.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

8.4.19

(निर्शा)
उपखण्ड अधिकारी
नाथद्वारा, जिला राजसमन्द

Scanned by CamScanner